STUDY ON THE IMPACT OF EARTH-QUAKES ON STRUCTURES IN SEISMIC ZONES

3258. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have instituted any study on the impact of earth-quakes on structures in seismic zones in the wake of recent Latur, Gulbarga-Bidar earth-quakes;

(b) whether it is a fact that on the basis of scientific studies conducted so far, it would be possible to reasonably quantify earth-quake hazards and there is adequate civil engineering expertise within the country to build quake-proof houses in seismic zones; and

(c) whether Government would consider enforcement of a construction code for buildings in seismically active zones in order to mitigate earth-quake hazards ?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On the basis of scientific studies conducted by several institutions, Bureau of Indian Standards (BIS) has prepared seismic zoning map and building code vide their publication IS : 1893 ; 1984 published in 1986, which is under revision at present. The building code is transmitted to the local authorities for necessary follow up.

कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना

श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के लिए बनाई गई अपनी योजना पर 10.92 लाख रुपए व्यय में खर्च किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने प्रतिवेदन 1993 का संख्यांक 8 में इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने इन टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई की है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):

(क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान और आठवीं योजना के शुरू होने से पहले की अवधि अर्थात् (1985—93) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी "कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत 1289 लाख रुपये की कुल खर्च वाली 401 परियोजनाएं अनुमोदित की। इस स्कीम का उद्देश्य गरीब लोगों और अन्य कमजोर वर्गों के लाभ के लिए नूतन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकास करने के साथ साथ मौजूदा तकनीकी में सुधार लाना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट (1993 की संख्यांक 2) में बताया है कि परियोजनाओं (401 में) को "समय पूर्व बन्द करना पड़ा था, जब उनका काम असन्तोषजनक पाया गया था।" इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 1083 लाख रुपय खर्च हुए थे।

इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को उसकी आधी अवधि पूर्ण होने से पहले बन्द नहीं किया गया था। इनके बन्द करने के कारण विवरण-1 में दिये गये हैं (नीचे देखिए) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी बताए गए है।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की विशिष्ट टिप्पणियां उपर्युक्त परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं से संबंधित हैं। ये टिप्पणियां और उन पर की गयी कार्रवाई विवरण-2 में दी गयी है।